

बिहार सरकार
राजस्व एवं सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

दि०- 31-12-13

चूकि बिहार के राज्यपाल के यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रघुनाथपुर, थाना-आदापुर, थाना न0-171, जिला-पूर्वी चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् इण्डो-नेपाल बोर्डर रोड सड़क निर्माण अंचल-छौड़ादानो के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा-रघुनाथपुर, थाना न0-171 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम वेश वीघा X कठठा X धुर है जो 7.38 एकड़ के बराबर होता है।

अंश खेसरा-262,280,279,276,277,278,290,291,289,292,293,305,306,308,303,304,302,301,312,314,
315,347,415,300,349,316,317,458,420,422,423,424,428,426,432,431,430,441,440,
439,438,442,443,513,526,445,500,501,502,512,519,518,510,507,506,

पूर्ण खेसरा-310,309,311,427,508

चौहदी निम्न प्रकार है:-

उत्तर:-खेसरा न0-280,279,287,291,289,290,291,306,308,312,314,315,340,349,347,316,458,
420,424,426,432,431,440,439,442,443,445,500,501,502,507,506,513,594

सभी आंशिक तथा 438 पूर्ण

दक्षिण:-खेसरा न0-292,280,279,277,292,293,304,305,302,311,310,300,340,347,415,417,420,
422,423,418,429,430,441,442,513,526,519,518,512,510,513 सभी आंशिक
एवं 513 पूर्ण

पूरब:-सीमा रेखा भगहा

पश्चिम:-सीमा रेखा कमौली

भूमि का भूमि के कियी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला लोहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना, या उपयोग में लाना आवश्यक हो के लिये भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो लिये जाएंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1894 की धारा-06 और अधिनियम 18,1885 की धारा -03 के खण्ड(1) के उपबंदों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्ता


पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव
राजस्व भूमिसुधार विभाग
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों में (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पू0 चम्पारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।
✓

(6)